43

न्यायालयः— श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0...../10—11 निगरानी R-434-I/2011

1—श्रीमती प्रेमावाई पत्नी स्व0शत्रुधन
2—अंकिता पुत्री शत्रुधन
जाति ब्राहम्ण निवासी वी.टी.आई.रोड़ भिण्ड म0प्र0
3—श्रीमती माधुरी पुत्री शत्रुधन पत्नी रामनरेश जाति ब्राहम्ण निवासी साटा तह0जौरा जिला मुरैना म0प्र0
4—श्रीमती मिथलेश पुत्री शत्रुधन पत्नी बीरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सिकरौदा तहसील व जिला मुरैना
5—श्रीमती अनिता पुत्री शत्रुधन पत्नी ऋषिकेष जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम विसनोरी तहसील जौरा जिला मुरैना

.....आवेदकगण

बनाम

रूपेश कुमार पुत्र जनकसिहं जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मानिकपुरा हाल निवासी वी0टी0आई0रोड़ भिण्ड तह0 व जिला भिण्ड

.....अनावेदकगण

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 4/3/2011
न्यायालयः— श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र0क्र0 22/10—10
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

श्रीमान्जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत हैः—

1— यहकि,ग्राम मानिकपुरा तहसील मेह्गांव जिला भिण्ड में स्थित कृषि भूमि सर्वे खाता क्रमांक 66 कुल किता 19 कुल रकवा 7.641 है.के आवेदक क्र.1 के पति व आवेदक क्रमांक 2 लगायत 5 के पिता शत्रुधन व अनावेदक हिस्सा 1/2 के सहस्वामी होकर आधिपत्यधारी थे ।

2— यहकि,शत्रुधन की मृत्यु हो जाने पर आवेदकगण द्वारा शत्रुधन के स्थान पर अपना नामांतरण हेतु आवेदक पत्र ग्राम पंचायत गिगरखी द्वारा ठहराव क्र.25 दिनांक 16/8/07 द्वारा नामांतरण किया गया ।

3— यहकि,अनावेदक द्वारा उक्त ठहराव द्वारा ही खाते का वटवारा संरपच से मिलकर आवेदक को धोखे में रखकर करा लिया जबकि आवेदिका द्वारा वटवारे की कोई सहमति नही दी ।

XXXV(2)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 434–एक/2011 निगरानी **जिला भिण्ड**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों आ। के हस्ताक्षर
8-10-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4–3–2011 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का परिशीलन किया गया। अनावेदक को बार–बार सूचना पत्र भेजने एंव सूचना पत्रों का समुचित निर्वाह की जानकारी के अभाव में पंजीकृत डाक से सूचना भेजी गई, इसके वाद भी सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निर्विवाद है कि उभय पक्ष के बीच मौजा मानकपुरा स्थित खाता कमांक 66 पर अंकित कुल सर्वे नंबर 19 के कुल रकबा 7.641 हैक्टर भूमि का बटवारा ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 25 पर आदेश दिनॉक 16–8–2007 से ग्राम पंचायत गिंगरखी ने किया है। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक 17/2007–08 प्रस्तुत हुई, अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–5–2010 से ग्राम पंचायत व्दारा किये गये बटवारा आदेश दिनांक 16–8–2007 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर पुन: आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी की गई। अपर कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण कमांक 18/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 22–11–2010 से निगरानी निरस्त कर दी एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक कमांक 22/2010–11 प्रस्तुत हुई, जिसमें पारित आदेश दिनॉक 4–3–2011 से	

प्रकरण कमांक 434-एक/2011 निगरानी

अपर कलेक्टर का आदेश दिनॉक 22-11-2010 एंव अनुविभागीय अधिकारी,मेहगॉव का आदेश दिनांक 31-5-2010 निरस्त किया गया तथा ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 25 पर आदेश दिनॉक 16-8-2007 से ग्राम पंचायत गिंगरखी व्दारा किये गये बटवारे को यथावत् रखा गया है। विचार योग्य है कि क्या ग्राम की नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश दिया जाकर भूमि का विभाजन किया जा सकता है ?

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 (1) इस प्रकार है - यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अॅश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

स्पष्ट है कि बटवारा कार्यवाही हेतु तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 178 - नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश नहीं दिया गया सकता - नामान्तरण पंजी पर ग्राम पंचायत व्दारा दिया गया बटवारा आदेश - नियम एंव प्रकिया के विरूद्व माना जावेगा।

उक्त कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-3-2011 एंव मौजा मानकपुरा स्थित खाता कमांक 66 पर अंकित कुल सर्वे नंबर 19 के कुल रकबा 7.641 हैक्टर भूमि का ग्राम की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 25 पर आदेश दिनॉक 16-8-2007 से ग्राम पंचायत गिंगरखी व्दारा किया गया बटवारा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 22/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4-3-2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 18/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 22-11-2010 अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव व्दारा अपील कमांक 17/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31-5-2010 उचित पाये जाने से स्थिर रखते हुये प्रकरण तहसीलदार मेहगॉव की ओर अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव के आदेश दिनांक 31-5-2010 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु वापिस किया जाता है।

सदस्य